कार्यालय जिला पंचायत हमीरपुर

मृत पशु शव निस्तारण के लाईसेन्स/ठेके वर्ष 2017–18 (31.03.2018) तक के लिये विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिला पंचायत हमीरपुर के पशुशव निस्तारण के लाइसेन्स/ठेके की नीलामी शासन के निर्देशानुसार स्थगित कर दी गयी थी। अब पुनः शासनादेश संख्या–4773 बी0/33–2 –92–570/91 दिनांक 03.08.1992 एवं समय– समय पर शासनादेशों के अनुसार जन स्वास्थ्य की रक्षार्थ जिला पंचायत हमीरपुर द्वारा जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों के मृत पशुओं के शव निस्तारण के लाईसेन्स/ठेका दि0 31.03.2018 तक के लिये विकास खण्डवार/ न्याय पंचायत बार रॉयल्टी पर नियमानुसार वृद्धि के साथ देने हेतु जनपद की पंजीकृत एवं क्रियाशील समितियों के प्रार्थना पत्र दिनांक 05.05.2017 तक कार्यालय जिला पंचायत हमीरपुर में आमंत्रित किये जाते है। जिनका निस्तारण/परीक्षण दिनांक 06.05.2017 को किया जायेगा। तत्पश्चात समितियों के अभाव में अवशेष क्षेत्रों की नीलामी पैतृक रूप से इस पेशे से सम्बद्ध व्यक्तियों के मध्य दिनांक 08.05.2017 को विकास खण्ड कुरारा, सुमेरपुर, मौदहा व मुस्करा तथा दिनांक 09.05.2017 को विकास खण्ड राठ, गोहाण्ड व सरीला की कराई जायेगी स्थान जिला पंचायत हाल समय 12:00 बजे दिन में होगी। जनपद के अवशेष न्याय पंचायतों की नीलामी/प्रार्थना पत्र प्रत्येक सोमवार व शुक्रवार को जिला पंचायत हाल में 12.00 बजे से दिन से कार्यालय समय तक लाईसेन्स जारी करने की कार्यवाही की जायेगी, लाईसेन्स जारी करने की कार्यवाही सक्षम अधिकारी की स्वीकृत की प्रत्याशा में की जायेगी। किसी बकायेदार समिति/व्यक्ति को लाईसेन्स नहीं दिया जायेगा। पैतृक रूप से कार्यरत व्यक्तियों को तहसीलदार का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्य शर्तें कार्यालय दिवस में देखी जा सकती है।

27.4.17

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पचांयत हमीरपुर

कार्यालय जिला पंचायत हमीरपुर

पत्रांक: 23 /आर0डी0/जि0पं0ह0 दिनांक:–27/04/17

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. मा0 अध्यक्ष जिला पंचायत हमीरपुर को अवलोकनार्थ।
2. जिलाधिकारी महोदय, हमीरपुर।
3. पुलिस अधीक्षक महोदय, हमीरपुर
4. मुख्य विकास अधिकारी, हमीरपुर।
5. उप जिला अधिकारी हमीरपुर, मौदहा/राठ/सरीला।
6. मा0 सदस्यगण जिला पंचायत, हमीरपुर।
7. वित्तीय परामर्शदाता/कार्य अधिकारी जिला पंचायत, हमीरपुर।
8. तहसीलदार , हमीरपुर/मौदहा/राठ/सरीला।
9. जिला सूचना अधिकारी (एन0आई0सी0) हमीरपुर को इस अनुरोध के साथ कि वह उपरोक्त नीलाम विज्ञप्ति जनपद की वेबसाईड www. Hamirpur.nic.in पर अपलोड करने की कृपा करना चाहे।
10. दैनिक अमर उजाला एवं दैनिक हिन्दुस्तान टाइम्स को इस आशय से कि वह उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन अपने समाचार पत्र के आगामी अंक में करके बिल भुगतान हेतु कार्यालय में प्रस्तुत करें।

27.4.17

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत हमीरपुर